न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 198 / 2019

आरसीएमएस नं. 2019 / 00198

अन्तर्गत धारा 225 आरटीएक्ट

बूटा सिंह पुत्र स्व0 श्री बलदेव सिह जाति कारीगर सुथार आयु   साल निवासी वार्ड नं. 16 धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)

—अपीलार्थी

बनाम

1. गुरमेल सिह पुत्र स्व0 श्री मुकन्द सिह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं. 17 धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ।
2. छिन्द्रपाल कौर पत्नी गुरमेल सिह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं. 17 धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ।
3. हरमेल सिंह पुत्र स्व0 श्री मुकन्द सिह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं. 11 धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ।
4. गणेशाराम पुत्र स्व0 श्री कुम्भाराम जाति छिम्पा निवासी कुलार तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)
5. रामप्यारी पत्नी श्री कुम्भाराम जाति छिम्पा निवासी कुलार तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)
6. रामप्यारी पत्नी स्व0 श्री पृथ्वीराज जाति छिम्पा निवासी वार्ड नं. 16 धोली पाल तहसील व जिला हनुमानगढ।
7. पुष्पा देवी पुत्री स्व0 श्री पृथ्वीराज जाति छिम्पा निवासी वार्ड नं. 16 धोली पाल तहसील व जिला हनुमानगढ।
8. सुभाष पुत्र स्व0 श्री पृथ्वीराज जाति छिम्पा निवासी वार्ड नं. 16 धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:13:17 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

9. श्रवण कुमार पंत्र स्व0 श्री पृथ्वीराज जाति छिम्पा निवासी वार्ड नं. 16 धोली पाल तहसील व जिला हनुमानगढ।

10. राजेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 श्री पृथ्वीराज जाति छिम्पा निवासी वार्ड नं. 16 धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ।

11. संतोष देवी पत्नी नौरंगलाल जाति सुथार निवासी वार्ड नं. 16 धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ।

12. फूला देवी पत्नी कृषलाल 13. शारदा पत्नी पृथ्वीराज 14. रानी पत्नी राजाराम 15. राजाराम पुत्र नानूराम 16. कृष्णलाल पुत्र नानूराम 17. पृथ्वीराज पुत्र नानूराम 18. हंसराज पुत्र नानूराम	जाति जाट निवासी धौलीपाल, तहसील व जिला हनुमानगढ।

19. बघेल सिह पुत्र जगराज सिंह जाति जटसिख निवासी बहाववाला तहसील अबोहर जिला फाजिल्का, पंजाब

20. गुरसेवक सिह पुत्र स्व0 जगरूप सिंह 21. गुरतेज सिह पुत्र. स्व0 जगरूप सिंह 22. काको पुत्री स्व0 श्री जगरूप सिंह	जाति जटसिख निवासी वार्ड नं. 13 धौलीपाल, तहसील व जिला हनुमानगढ, राज0

23. जसवीर कौर पत्नी गुरसेवक सिह उर्फ गुरसाहब सिह जाति जटसिख निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ, राज0

24. अंग्रेज सिह उर्फ अजमेर सिंह पुत्र जगराज सिंह जाति जटसिख निवासी बहाववाला तहसील अबोहर जिला फाजिल्का पंजाब

25. सुलतान पुत्र सुखा उर्फ श्योलाल 26. जगदीश पुत्र सुखा उर्फ श्योलाल 27. खेताराम पुत्र सुखा उर्फ श्योलाल 28. बुधराम पुत्र रामप्रताप	जाति जाट निवासी धौलीपाल, तहसील व जिला हनुमानगढ राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:13:17 IST
Reason: SelfAttested

29. गुरदेव सिह पुत्र ईशर सिंह जाति तरखान निवासी धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

30. जगतार सिह पुत्र दशौदा सिह
31. राजपाल पुत्र दशौदा सिह
32. कृष्ण सिंह पुत्र सुखदेव सिंह
33. सुखदेव सिह पुत्र ईशर सिंह

} जाति रामगढिया निवासी वार्ड नं. 13 धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ, राज0

34. रणजीत कौर पत्नी
35. वकील सिह पुत्र
36. अमनदीप कोर पुत्र
37. पवनदीप कौर पुत्री

} स्व0 वीर सिह जाति रामगढिया वार्ड नं. 16 धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ।

38. सुखदेव हिस पुत्र मल सिह जाति रामगढिया निवासी धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ।
39. मुखत्यार सिंह पुत्र मल सिह जाति रामगढिया निवासी धौलीपाल तहसील व जिला हनुमागनढ।

40. मेजर सिह पुत्र स्व0 इन्द्र सिह
41. जसवन्त सिंह पुत्र स्व0 इन्द्र सिह
42. जगजीत सिह पुत्र स्व0 इन्द्र सिह

} जाति रामगढिया निवासी बलाढा तहसील व जिला बठिण्डा, पंजाब

43. गुरदेव सिह पुत्र जगर सिंह जाति जटसिखनिवासी वार्ड नं. 13 धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ।
44. जगसीर सिह पुत्र सुखदेव सिह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं. 13 धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ

45. अंग्रेज सिंह पुत्र पूर्ण सिह
46. राम सिह पुत्र पूर्ण सिह
47. बलदेव सिह पुत्र पूर्ण सिह
48. चिमन सिह पुत्र पूर्ण सिह

} निवासी धोलीपाल हाल बहाववाला तहसील अबोहर जिला फाजिल्का, पंजाब

49. हरभजन सिह पुत्र नत्थु सिंह
50. रामलाल पुत्र नत्थुसिंह
51. कृष्ण पुत्र लक्खा सिह
52. जगदीश पुत्र लक्खा सिह

} जाति कुम्हार निवासी वार्ड नं. 13 धौलीपाल, तहसील व जिला हनुमानगढ राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:13:17 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

53. दशौदा सिह पुत्र स्व0 ईशर सिंह जाति सुथार निवासी वार्ड नं. 13, धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ, राज0

54. बुधराम पु0 स्व0 श्री नन्दराम

55. नत्थुराम पुत्र स्व0 श्री नन्दराम

56. कृष्ण पुत्र स्व0 श्री मुखराम

57. राज कुमार पुत्र स्व0 मुखराम (फौत)

57/1 कृष्णा देवी पत्नी राजकुमार

57/2 सुभाष पुत्र राजकुमार

57/3 सुलोचना पुत्री राजकुमार

57/4 निर्मला पुत्री राजकुमार अकवाम जाट निवासी वार्ड नं. 13, धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ।

58. कालूराम पुत्र स्व0 हरीराम जाति जाट निवासी धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ।

59. लालारामपुत्र स्व0 हरीराम (फौत)

59/1 चन्द्रकला पत्नी लालाराम

59/2 विनोद पुत्र लालाराम

59/3 सुभाष पुत्र लालाराम

59/4 कलावती पुत्री लालाराम अकवाम जाट निवासीयान मकान नम्बर 76 गली नम्बर 86, सैक्टर नं. 12 हनुमानगढ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ, राज0

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ (राज)

60. महावीर पुत्र सोहनलाल पुत्र हरीराम जाति जाट निवासी सेक्टर नम्बर 12, हनुमानगढ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ राज0

61. रणवीर पुत्र सोहनलाल पुत्र हरीराम जाति जाट निवासी सेक्टर नम्बर 12, हनुमानगढ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ राज0

61/1 विमला पत्नी रणवीर सिंह
61/2 मनीष पुत्र रणवीर सिह
61/3 चन्दन पुत्र रणवीर सिंह
} जाति जाट निवासी सैक्टर नं0 12 हनुमानगढ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ, राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:13:17 IST
Reason: SelfAttested

61/4 चंदो देवी पत्नी सोहनलाल रणवीरसिंह जाति जाट निवासी सैक्टर नंबर 12 हनुमानगढ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ, राज0।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

62. बलवीर पुत्र सोहनलाल पुत्र हरीराम जाति जाट निवासी सैक्टर नं. 12, हनुमानगढ जंक्शन, तहसील व जिला हनुमानगढ।

63. बुधराम पुत्र रामचन्द्र
64. नेतराम पुत्र रामचन्द्र
65. ओमप्रकाश पुत्र रामचन्द्र
66. इन्द्रसिंह पुत्र मनीराम
67. जिसुखराम पुत्र साजन पुत्र रामचन्द्र

} जाति जटसिख निवासी धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ।

68. छबीलदास पुत्र साजन
69. भजनलाल पुत्री देवीचन्द

} जाति जाट निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ।

70. सुखदेव सिह पुत्र नन्दसिंह
71. गुरमेल सिंह पुत्र नन्द सिंह
72. जगदेव सिह पुत्र. सरदार सिंह
73. पाल सिंह पुत्र सरदार सिंह
74. दयाल सिंह पुत्र सरदार सिंह
75. कपूर सिंह पुत्र पाला सिंह

} जाति जटसिख निवासी धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ।

76. जण्टा सिह पुत्र पाला सिह–फौत

76/1 जीत सिह पुत्र जन्टा सिह पुत्र

76/2 गुरदीप सिह पुत्र जन्टा सिह

76/3 मोदन सिह पुत्र जन्टा सिंह जाति जटसिख निवासी 14 एम.एम.के. तहसील व जिला हनुमानगढ राज0

76/4 ज्ञान कौर पुत्री जन्टा सिह पत्नी बलराज सिंह जाति जटसिख निवासी 12–जी तहसील व जिला श्रीगंगानगर, राज0

77. गुरदेव सिह पुत्र पाला सिह जाति जटसिख निवासी धौलीपाल, तहसील व जिला हनुमानगढ। –फौत

77/1 नसीब कौर पत्नी पाला सिंह

77/2 गुरसेवक सिह–फौत

77/2/1 सर्वजीत कोर पत्नी गुरसेवक सिह

77/2/2 गुरजीत सिह पुत्र गुरसेवक सिह

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:13:17 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी

77/2/3 यादविन्द्र सिह पुत्र गुरसेवक सिह

77/3 बिन्दर सिंह पुत्र. गुरदेव सिंह –फौत

77/3/1 कमजीत कोर पत्नी बिन्दर सिंह

77/3/2 समनीत सिंह पुत्र बिन्दर सिंह

77/3/3 अर्शप्रीत कौर पुत्री न्दिर सिह जाति जटसिख निवासी 14 एमएमके, तहसील व जिला हनुमानगढ।

77/4 मन्दर कौर पुत्री गुरदेव सिह पत्नी बलकरण सिंह जाति जटसिख निवासी 12–जी तहसील व जिला श्रीगंगानगर, राज0

77/5 कर्मजीत कौर पुत्री गुरदेव सिह पत्नी जगदेव सिह जाति जटसिख निवासी खरलिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ, राज0

78. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ, राज0

— रेस्पोडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ
निर्णय दिनांक 07.10.2019, प्र. सं. 67/2018
अंतर्गत गुरमेल सिंह आदि बनाम हरमेल सिह आदि

उपस्थितः–
श्री देवदत्त भिड़ासरा, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री राजेश दीपरामय, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1, 2
श्री राजेश कौशिक, राजकीय अभिभाषक

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:13:17 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांक 04.07.2022

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट सं0 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत एक प्रार्थना–पत्र पेश किया जिसमें अप्रार्थी संख्या 69ता 76 के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का अनुतोष चाहा कि चक 11 डी.एल.पी. के खाता

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

संख्या जमाबन्दी सम्वत 2071–74 खाता 83/74 में वर्णित 3.287 है0 कृषि भूमि को आगे रहन बैय व मुन्तकिल करने से निषिध रहे तथा अप्रार्थी सं0 23 ता 51 चक 12 एम.एम.के. के पत्थर नं0 117/195 किला नं. 1, 10, 11 में पश्चिम ओर 16–1/2–16/1/2 फुट चौड़ाई में व उत्तर से दक्षिण 3 बीघा लम्बाई में चल रहे रास्ता को बंद करने व प्रार्थीगण के आवागनम में किसी प्रकार की बाधा कारित कारित करने से निषिद्ध रहें। विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.10.2019 के द्वारा प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जिससे व्यथित हेाकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि रेस्पोडेण्ट भूरसिंह व उसकी पत्नी छिन्द्रपाल कौर ने धारा 88, 53 व 188 के अन्तर्गत चक 11 डीएलपी के खात संख्या 83/74 की 3.887 है0 भूमि को रहन बैय न करने व चक 12 एमएमके के प.नं. 117/185 किला नं. 1, 10, 11 में चालू रास्ता को बन्द न करने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा चाही है। वाद के अन्य अनृतोष के संबंध में कोई आपत्ति नहीं है। पर किला नं. 1, 10, 11 में रास्ता कभी भी चालू नहीं रहा है। विचारण न्यायालय ने तहसीलदार हनुमानगढ की रिपेार्ट दिनांक 12.06.18 में मौका पर कोई रास्ता चालू नहीं है। तहसीलदार हनुमानगढ द्वारा भेजी गई रिपोर्ट में कोई रास्ता न होने का स्पष्ट अंकन है अपीलांट व रेस्पोडेण्ट सहकाश्तकार है। सम्पूर्ण खाता की भूमि में रास्ता खाला की सुविधा से विभाजन होने पर की जा सकती है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा भी अपने निर्णय दिनांक 10.02.2021 में यह आदेश पारित किया है कि नया रास्ता प्राप्त करने के प्रावधान धारा 251 –ए आरटीएकट के तहत है। धारा 88 या 188 आरटीएक्ट में कोई प्रावधान नहीं है। अभिभाषक अपीलांट ने आदेश41 नियम 27 सीपीसी के साथ प्रस्तुत दस्तावेज तबादलानामा दिनांक 27.01.82 प्रस्तुत किया है जिसमें अपीलांट व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने रास्ता स्वीकृत करने के बदले में भूमि देकर रासता देने में दोनों ने सहमति दी है। उक्त दस्तावेज को अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में रिकार्ड पर लेने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:13:17 IST
Reason: SelfAttested

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1 व 2 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका गुरमेल सिह बनाम बूटा सिह याचिका संख्या 18616/2019 में दिनांक 19.12.19 को निर्णय पारित करते राजस्व मण्डल अजमेर का

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

आदेश निरस्त कर दिया इसलिए श्रीमान न्यायालय को अपीलाधीन आदेश के समब्ध में गुणावगुण पर निर्णय पारित करना है। वादग्रस्त भूमि सम्पूर्ण खाता की भूमि का है एवं रेस्पोडेण्ट विभाजन से पूर्व भूमि को विक्रय कर सकते हैं। चक 12 एमएमके प. नं. 117/195 किला नं. 1,10,11 रास्ता चालू था उक्त रास्ता के अतिरिक्त रेस्पोडेण्ट की भूमि में आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता नहीं है। सम्पूर्ण खाता की भूमि में प्रत्येक सह काश्तकार का प्रत्येक इंच पर कब्जा विधि अनुसार माना जाता है। इसलिए अपीलांट उक्त चालू रासता को बंद नहीं कर सकते। रेस्पोडेण्ट उक्त रास्ता को स्वीकृत करवाने का अधिकारी है। आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ प्रस्तत दस्तावेज समझौता निर्णय में किसी प्रकार सहायक नहीं है। प्रार्थना–पत्र एवं अपील खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावी का अवलाकन किया

6. अपीलाण्ट ने आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के प्रार्थना–पत्र के साथ आपसी समझौता की फोटो प्रति पेश की है। उक्त समझौता पर सभी पक्षकारों के हस्ताक्षर नहीं है। समझौता की मूल प्रति भी पेश नहीं की है। इसलिए प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी खारिज किया जाता है। विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश के द्वारा वादग्रस्त भूमि को मूल वाद के निस्तारण तक भूमि को रहन बेय न करने एवं प्रार्थना––पत्र के अप्रार्थी संख्या 23 ता 51 को चक 12 एमएमके के प. नं. 117/195 किला नं. 1, 10, 11 में पश्चिम की तरफ दावा दायरी के समय चल रहे रास्ता को मौका पर खुलवाया जाकर रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया है। विचारण न्यायालय द्वारा जारी रहन बैय के स्थगन आदेश के संबंध में दोनों पक्षों के मध्य कोई विवाद नहीं है। मुख्य विवाद चक 12 एमएमके के प. नं. 117/195 के किला नं. 1,10, 11 के रास्ता को लेकर है। अपीलाधीन आदेश में उक्त रास्ता को दावा दायरी के समय चालू होना मानकर पुनः चालू करने का आदेश दिया है। विचारण न्यायालय के आदेश की पालना में [illegible] द्वारा प्रेषित रिपोर्ट वादग्रस्त रास्ता कभी भी चालू न होने की [illegible] आई है [illegible] में तथाकथित रास्ता के मध्य विद्युत विभाग की डीपी (विद्युत [illegible]) [illegible] रिपोर्ट भी है। विचारण न्यायालय के समक्ष मूल वाद घोषणा एवं विभाजन हेतु प्रस्तुत किया गया है। रेस्पोडेण्ट उक्त वाद में विशिष्ट किलों में अपीलाण्ट के कब्जा काश्त की भूमि में रास्ता चालू करवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:13:17 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

चाहता है। जबकि धारा 212 आरटीएक्ट के तहत रास्ता स्वीकृत करने का कोई प्रावधान नहीं है। अपीलाण्ट का मूल वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा एवं खाता विभाजन का भी है। सह काश्तकारों के मध्य विभाजन के समय सभी सह काश्तकारों को अपने अपने हिस्सा की भूमि मे जाने हेतु रास्ते का प्रावधान रखा जाना आवश्यक है। परन्तु धारा 212 आरटीएक्ट के तहत एक सह काश्तकार दूसरे सह काश्तकार के हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमि में रास्ता चालू करवाने की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं करवा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न रिपोर्ट तहसीलदार हनुमानगढ के अनुसार भी तथाकथित रास्ता चालू होना साबित नहीं है। संयुक्त खाता की भूमि में रास्ता का प्रावधान विभाजन के समय किये जाना है इसलिए अपीलाधीन आदेश उचित नहीं है व अपील आंशिक रूप से स्वीकार योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.10.2019 में विचारण न्यायालय द्वारा जारी रहन बैय की हद तक निषेधाज्ञा को यथावत रखा जाता है व वाद के अप्रार्थी संख्या 23 ता 51 के विरूद्ध चक 12 एमएमके के प. नं. 117/195 किला नं. 1, 10, 11 के पश्चिमी तरफ 16–1/2, 16–1/2 फुट उत्तर से दक्षिण लम्बाई में रास्ता खुलवाकर रिकार्ड की यथास्थिति के संबंध में पारित आदेश अपास्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.7.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

4/7/22

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:13:17 IST
Reason: SelfAttested